

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : दूनीवसिंदी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/1931

दिनांक: 23.12.2009

प्रति,

अंतिम स्मरण - पत्र

प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय,
सम्बद्ध जीवाजी विश्वविद्यालय,
ग्वालियर

विषय - परिनियम 27 एवं 28 के अन्तर्गत महाविद्यालय की जानकारी प्रस्तुत करने बावत् ।

सन्दर्भ - इस कार्यालय के पत्र क्रमांक (1) जीवि/सम्बद्धता/1090 दिनांक 17.12.2008 (2) जीवि/सम्बद्धता/1045 दिनांक 24.12.2009 एवं (3) जीवि/सम्बद्धता/1046 दिनांक 24.12.2009

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि कई बार स्मरण-पत्र भेजने के उपरान्त भी आपके द्वारा परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानानुसार महाविद्यालय के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। अतः अन्तिम बार सूचना दी जाती है कि महाविद्यालय के सम्बन्ध में निम्न जानकारी भिजवाने का कष्ट करें।

1. महाविद्यालय का नाम
2. संस्था/समिति का नाम
3. स्थापना वर्ष
4. प्राचार्य का नाम


(अ) दूरभाष क्रमांक

(ब) मोबाईल नं०

1. पाठ्यक्रम का नाम _____ छात्र संख्या _____
2. पाठ्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित छात्र संख्या
पाठ्यक्रम का नाम _____ छात्र संख्या _____
3. महाविद्यालय का स्वयं का भवन व भूमि का रिकार्ड सम्बन्धित शिक्षा समिति के नाम से पंजीकृत हो की प्रति उपलब्ध करायें ।
प्राचार्य कक्ष संख्या (आकार सहित वर्गफुट)
अध्ययन कक्ष
पुस्तकालय
प्रयोगशालाएँ
4. समय-सारिणी की प्रति उपलब्ध करायें
(कक्ष क्रमांक सहित)
5. पुस्तकों/टाईटल्स की संख्या (सूची संलग्न करें)
6. जर्नल्स/एनसाइक्लोपीडिया की संख्या (सूची संलग्न करें)
7. प्रयोगशाला उपकरणों की संख्या (सूची संलग्न करें)
8. परिनियम 28 (17) के अन्तर्गत नियुक्त प्राचार्य, शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की जानकारी ।
9. कार्यपरिषद् द्वारा परिनियम 28 (17) के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों का भान्य करने की जानकारी ।
10. शासी निकाय के गठन की जानकारी एवं कार्यविवरण प्रस्तुत करें ।
11. परिनियम 28 के अनुसार विश्वविद्यालय में जमा एण्डोमेन्ट फण्ड (एफ.डी.आर.) की जानकारी ।
(फोटोप्रति संलग्न करें)

उपर्युक्त जानकारी अनिवार्य रूप से दिनांक 15 जून 2010 तक प्रस्तुत करें, उक्त जानकारी प्राप्त नहीं होने की दशा में परिनियम 27 (12) के अन्तर्गत महाविद्यालय को असम्बद्ध किये जाने की कार्यवाही की जावेगी ।

भवदीय,


कुलसचिव